न्यायालय न्यायनियर्णन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी — श्री मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस

मुकदमा नम्बर : 46/2023

श्री महेन्द्र सिंह मेहनतकश, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जिला झुन्झुनू।

बनाम

1. श्री सुमित लुहारका पुत्र श्री राजकुमार लुहारका, मैसर्स राजकुमार संदीप कुमार, मैन मार्केट, मलसीसर, जिला झुन्झुनू।
2. श्री संदीप कुमार महनसरिया पुत्र श्री शिव कुमार, मैसर्स बिसाऊ मसाला हाउस, जी–1,176 रीको इन्डस्ट्रीयल एरिया, रामगढ शेखावाटी, सीकर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एफ.एस.एस.ए एक्ट 2006 व सपठित धारा नियम 2011

उपस्थितिः–
1. आवेदक की ओर से ....आवेदक स्वयं।
2. अनावेदक संख्या 1 व 2 की ओर से ....अनावेदक स्वयं।

–निर्णय– **दिनांक : 28.08..2023**

श्री महेन्द्र सिंह मेहनतकश, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनू ने एक प्रार्थना पत्र एफ.एस.ए एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जो सक्षेंप में निम्न प्रकार है :– कि आवेदक श्री महेन्द्र सिंह मेहनतकश, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनू में कार्यरत है। आवेदक को राज्य सरकार द्वारा बतौर खाद्य सुरक्षा अधिकारी जिला झुन्झुनू का समस्त क्षेत्र आंवटित हुआ है। आवेदक द्वारा अपना कर्तव्य पालन करते हुए दिनांक 24.02.2023 को मैसर्स राजकुमार संदीप कुमार, मैन मार्केट, मलसीसर जिला झुन्झुनू का निरीक्षण किया गया। दौराने निरीक्षण दुकान पर अनावेदक श्री सुमित लुहारका पुत्र श्री राजकुमार लुहारका उपस्थित मिला जिसने स्वयं को दुकान का विक्रेता होना जाहिर किया। जिस पर अनावेदक से खाद्य पदार्थ लाइसेंस दिखाने के लिए कहा गया तो अनोवदक ने खाद्य सुरक्षा लाईसेंस नही होना जाहिर किया।

निरीक्षण के दौरान उक्त दुकान पर खाद्य प्रदार्थ मिर्च पाउडर (दो भाई गोल्ड) आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था। जिसमें मिलावट का शक होने पर उक्त खाद्य प्रदार्थ मिर्च पाउडर (दो भाई गोल्ड) में से सैम्पल लिया गया। सैम्पल को जांच हेतु भिजवाया जाने की प्रक्रिया पूरी कर सैम्पलो पर गवाहन के हस्ताक्षर करवाये गये। मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर अनावेदक व गवाहन को पढकर सुनाया

तथा समझाया जाकर फर्द पर अनावेदक तथा गवाहन के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद पैक सैम्पल को खाद्य विश्लेषक जयपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट में खाद्य पदार्थ के मिसब्रान्ड फुड (Misbranded Food under section 3(1)(zf)(C)(i)) आने पर प्रार्थना पत्र तैयार कर सैम्पल लेते समय की गई समस्त कार्यवाही के दस्तावेज तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न कर प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनावेदक को प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि सहित तलबी जारी की गई। जिस पर अनावेदक ने स्वयं उपस्थित होकर अपना लिखित जबाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया जाकर प्रार्थना पत्र में बहस अन्तिम सुनी गई।

अनावेदक/अभियुक्त संख्या 1 का कथन है कि उसकी मैन मार्केट, मलसीसर, झुन्झुनू में मै0 राजकुमार संदीप कुमार के नाम से दुकान है जहां वह मिर्च पाउडर (दो भाई गोल्ड) का बेचान करता है। उसकी दुकान से खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर(दो भाई गोल्ड) का सैम्पल लिया गया था जो कि उसने अनावेदक संख्या 2 मै0 बिसाऊ मसाला हाउस, जी–1,176 रीको इण्डस्ट्रीज एरिया रामगढ शेखावाटी जिला सीकर से जरिये पक्के बिल पैक्ड खरीदा था तथा पैकिंग ही बेचान करते है। अनावेदक संख्या 1 ने अनावेदक संख्या 2 से मिर्च पाउडर (दो भाई गोल्ड) की खरीद का पक्का बिल भी प्रस्तुत किया। अतः जो भी नियमानुसार कार्यवाही हो वह अनावेदक संख्या 2 के की जाये।

अनावेदक/अभियुक्त संख्या 2 का कथन है कि उसकी रीको इण्डस्ट्रीज एरिया रामगढ शेखावाटी जिला सीकर में मै0 मै0 बिसाऊ मसाला हाउस के नाम से मसाला फेक्ट्री है जहां वह मसाले तैयार कर बेचान करता है। अनावेदक संख्या 1 की दुकान से लिया गया सैम्पल मिर्च पाउडर (दो भाई गोल्ड) उसी की फर्म द्वारा तैयार किया गया है। अनावेदक संख्या 2 ने निवेदन किया कि अनावेदक संख्या संख्या 1 की दुकान से लिया गया सैम्पल मानक अनुसार ही है। लेकिन नये नियमों की जानकारी के अभाव एवं पहले से छपे हुए पाउचों पर छपाई में गलती होने के कारण सैम्पल मिसब्रान्ड फुड पाया गया है। अतः इसे हमारी पहली ओर अन्तिम गलती मानते हुए प्रकरण को खारिज किया जावे।

हस्तगत प्रकरण प्रकरण में खाद्य विश्लेषक राज जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 **एल.एस./509/एक्ट/2023/568 दिनांक 03.03.2023** के अनुसार खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर (दो भाई गोल्ड)मिसब्रान्ड फुड (Misbranded Food) पाया गया है। जो खाद्य सुरक्षा नियम की धारा 3(1)(zf)(C)(i) खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के उल्घन की श्रेणी में आता है। चूँकि अनावेदक संख्या 1 ने अनावेदक संख्या 2 से खाद्य पदार्थ की खरीद का पक्का बिल प्रस्तुत किया है तथा खाद्य पदार्थ पैक्ड खरीद कर पैक्ड ही बेचान करता है। इसलिए प्रकरण में अनावेदक

संख्या 1 को दोषी नही माना जा सकता है। अतः अनावेदक संख्या 1 श्री सुमित लुहारका पुत्र श्री राजकुमार लुहारका के विरूद्ध कार्यवाही ड्रॉप की जाती है।

चूंकि अनावेदक संख्या 2 अपनी फर्म मै0 बिसाऊ मसाला हाउस में खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर (दो भाई गोल्ड) स्वयं तैयार कर बेचान करता है तथा स्वयं फर्म मालिक है। अतः प्रकरण में खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर (दो भाई गोल्ड) के मिसब्रान्ड फुड (Misbranded Food under section 3(1)(zf)(C)(i)) पाया जाने आने की स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अनावेदक संख्या 2 श्री संदीप कुमार महनसरिया पुत्र श्री शिव कुमार, मैसर्स बिसाऊ मसाला हाउस, जी–1,176 रीको इन्डस्ट्रीज एरिया, रामगढ शेखावाटी, जिला सीकर को धारा 26 की उपधारा (2) (ii) को दोषी मानकर प्रकरण में 20,000/– बीस हजार रूपये अर्थदण्ड/जुर्माने से दण्डित किया जाता है। उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट मद में 15 दिवस में जरिये चालान बैंक में जमा कराकर चालन की एक प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। आदेश की एक प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू को भिजवाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.08.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28-8-2023

(मुरारी लाल शर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू